भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

**(खेल विभाग)**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 771**

उत्तर देने की तारीख 16 अगस्‍त, 2012

25 श्रावण, 1934 (शक)

**उत्तर प्रदेश के स्कूल तथा कॉलेजों में खेलों को बढ़ावा देने की योजना**

771. श्री जुगुल किशोरः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में खेलकूद को बढ़ावा देने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य के स्कूलों

और कॉलेजों में विगत दो वर्षों के दौरान कितनी खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं;

(ग) खेलकूद प्रतियोगिता के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(घ) क्या सरकार प्राइवेट स्कूलों के लिए खेलकूद सुविधाओं को अनिवार्य बनाने के लिए

किसी योजना पर पहल कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)

(श्री अजय माकन)

(क) और (ख) : चूंकि ’खेल’ राज्‍य का विषय है, स्‍कूलों और कॉलेजों सहित खेलों को बढ़ावा देने और इसके विकास की मुख्‍य जिम्‍मेदारी राज्‍यों की है । तथापि, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण राज्‍यों के प्रयासों की पूर्ति करते हैं ।

स्‍कूल गेम्‍स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) और एसोएिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) को भारत सरकार द्वारा राष्‍ट्रीय खेल प्रोत्‍साहन संगठन (एनएसपीओ) के रूप में मान्‍यता प्रदान की गई है और ये एनएसएफ को सहायता की स्‍कीम के अंतर्गत राष्‍ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को मिलने वाली सहायता के अनुरूप सहायता के पात्र हैं जिसके अंतर्गत भारत में राष्‍ट्रीय चैम्‍पियनशिप और अंतरराष्‍ट्रीय टूर्नामेंटों के आयोजन, विदेशों में

अंतरराष्‍ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी, कोचिंग शिविरों के आयोजन,खेल उपकरणों की खरीद और विदेशी कोचों की नियुक्‍ति के लिए सहायता प्रदान की जाती है । एसजीएफआई और एआईयू क्रमश: स्‍कूलों और कॉलेजों/विश्‍वविद्यालयों में खेलकूद के प्रोत्‍साहन और विकास में सक्रिय हैं ।

सीनियर कैटेगरी (पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए), जूनियर और सब जूनियर कैटेगरी (लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए) में राष्‍ट्रीय चैम्‍पियनशिप का आयोजन, राष्‍ट्रीय खेल परिसंघों के प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं संबंधी वार्षिक कैंलेंडर का हिस्‍सा है । जूनियर और सब जूनियर चैम्‍पियनशिप के प्रतिभागी मूलत: स्‍कूलों से होते हैं । एनएसएफ को सहायता संबंधी स्‍कीम के अंतर्गत सरकार से वित्‍तीय सहायता की पात्रता निम्‍नानुसार है:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र. सं. | प्रतियोगिता विवरण | स्‍वीकार्य वित्‍तीय सहायता (लाख रूपए) |
| 1 | सीनियर राष्‍ट्रीय चैम्‍पियनशिप पुरुष /महिलाओं के लिए (संयुक्‍त) | 2.00 लाख रूपए |
| 2 | जूनियर राष्‍ट्रीय चैम्‍पियनशिप लड़के/लड़कियां के लिए (संयुक्‍त) | 4.00 लाख रूपए |
| 3 | सब-जूनियर राष्‍ट्रीय चैम्‍पियनशिप लड़के/लड़कियां के लिए (संयुक्‍त) | 6.00 लाख रूपए |
| 4 | क्षेत्रीय चैम्‍पियनशिप पुरुष और महिलाओं के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम 6 चैम्‍पियनशिप | प्रत्‍येक जोनल प्रतियोगिता के लिए एक लाख रूपए की दर से अधिकतम 6 लाख रूपए तक 6 जोनल चैम्‍पियनशिपों के लिए |

नोट: :यदि फेडरेशन पुरूषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग चैम्‍पियनशिप का आयोजन करते हैं, प्रत्‍येक कैटेगरी के लिए मंजूरी के लिए स्‍वीकार्य अनुदान का केवल 50 प्रतिशत पर ही विचार किया जा सकता है ।

उपर्युक्‍त तालिका से यह पता चलता है कि सब जूनियर राष्‍ट्रीय चैम्‍पियनशिप के मामले में वित्‍तीय सहायता की मात्रा सीनियर नैशनल चैम्‍पियनशिप का तीन गुना है और जूनियर राष्‍ट्रीय चैम्‍पियनशिप के मामले में यह मात्रा सीनियर नेशनल चैम्‍पियनशिप की सहायता से दुगुना है । यह स्‍कूल और कॉलेज स्‍तर पर खेलों और प्रतियोगिताओं को प्रोत्‍साहित करने के सरकारी सतत प्रयासों में वृद्धि करने के लिए है ।

इसके अतिरिक्‍त विभिन्‍न खेलों के खिलाड़ियों के लिए मुख्‍य स्रोत स्‍कूल और कालेज हैं । अत: संबंधित राष्‍ट्रीय खेल परिसंघों के माध्‍यम से विभिन्‍न अंतरराष्‍ट्रीय खेल स्‍पर्धाओं में देश का प्रतिनिधित्‍व करनेवाले खिलाड़ी जिनमें स्‍कूलों और कालेजों के खिलाड़ी शामिल हैं, एनएसएफ को सहायता संबंधी स्‍कीम के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित वित्‍तीय सहायता और कोचिंग सुविधाओं आदि का लाभ उठाते हैं ।

राष्‍ट्रीय धारा में खेल प्रतिभाओं को बढ़ाने तथा लभ्‍य और स्‍थाई प्रदर्शन के साथ प्रतिभाओं का एक बड़ा पूल तैयार करने के उद्देश्‍य से वैज्ञानिक आधार पर और व्‍यावसायिक दृष्‍टि से प्रतिभा खोज और प्रतिभा संवर्धन के लिए राष्‍ट्रीय विश्‍वविद्यालयों और राष्‍ट्रीय स्‍कूल खेलों ने मुख्‍य मंच उपलब्‍ध कराया है ।

8-25 वर्ष के आयु वर्ग के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों जो मुख्‍यत: स्‍कूलों और कॉलेजों के हैं, की पहचान और पोषण तथा प्रशिक्षण के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण निम्‍नलिखित स्‍कीमें चला रहा है:

**(i) राष्‍ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी):** इस स्‍कीम का मुख्‍य उद्देश्‍य 8-14 वर्ष के आयु वर्ग के स्‍कूली बच्‍चों में प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान करना है ।

(ii) सैन्‍य बाल खेल कंपनी (एबीएससी): इसका कार्यान्‍वयन सेना के सहयोग से किया जाता है । 8-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्‍चों को राष्‍ट्रीय और अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर उत्‍कृष्‍टता प्राप्‍त करने के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाता है । इस स्‍कीम के अंतर्गत भारतीय सेना में नौकरी के अवसर भी उपलब्‍ध कराए जाते हैं ।

(iii) विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी): इस स्‍कीम के अंतर्गत देश के जनजातीय, ग्रामीण, तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों से आधुनिक प्रतिस्‍पर्धात्‍मक खेलकूद के लिए प्रतिभाओं का पता लगाने और उन्‍हें प्रशिक्षण देने के लिए क्षेत्र विशेष दृष्‍टिकोण बनाया गया है इस स्‍कीम का मुख्‍य उद्देश्‍य 14-21 वर्ष के आयु वर्ग में प्रतिभावान और मेधावी खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना है ।

(iv) साई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी): इस स्‍कीम के अंतर्गत 14-21 वर्ष के आयु वर्ग के प्रतिभावान युवाओं को आवासीय या गैर-आवासीय आधार पर इस स्‍कीम से जुड़ने का विकल्‍प दिया जाता है ।

(v) उत्‍कृष्‍टता केंद्र (सीओई): इस स्‍कीम का मुख्‍य उद्देश्‍य 17-25 वर्ष और इससे अधिक आयु के आयु वर्ग के उत्‍कृष्‍ट खिलाड़ियों, जो अंतरराष्‍ट्रीय प्रतियेागिताओं में देश के लिए पदक जीत सकें,की पहचान करना और उन्‍हें प्रशिक्षण देना है ।

उपर्युक्‍त स्‍कीमों के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को वजीफा, खेल किट, दुर्घटना बीमा और प्रतियेागिता में सहभागिता के अवसर आदि उपलब्‍ध कराए जाते हैं ।

जहां तक देश में विशेषकर उत्‍तर प्रदेश में स्‍कूलों और कालेजों में खेल स्‍पर्धाओं के आयोजन का संबंध है, यह सूचित किया जाता है कि मंत्रालय स्‍कूलों और कालेजों में आयोजित खेल स्‍पर्धाओं से संबंधित डाटा का रखरखाव नहीं करता है ।

(ग) पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एसजीएफआई और एआईयू सहित एनएसएफ को जारी अनुदानों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है ।

(घ) और (ड़) : बच्‍चों को नि:शुल्‍क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 बनाया गया है, जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाने सहित निम्‍नलिखित का प्रावधान किया गया है:

(i) प्रत्‍येक स्‍कूल के लिए एक खेल मैदान

(ii) अपर प्राईमरी स्‍कूल में शारीरिक शिक्षा के लिए एक अंशकालिक अनुदेशक

(iii) आवश्‍यकतानुसार स्‍कूलों को खेल सामग्री, खेलकूद उपकरण की आपूर्ति

आरटीई अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कोई भी स्‍कूल स्‍थापित अथवा मान्‍यता प्राप्‍त नहीं होगा जब तक वह इस अधिनियम के साथ संलग्‍न अनुसूची में विर्निदिष्‍ट मानकों को पूरा नहीं करता ।

इसके अतिरिक्‍त, केंद्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सभी संबद्ध स्‍कूलों के लिए यह अनिवार्य किया है कि एक सप्‍ताह में दसवीं कक्षा तक खेल के लिए एक अनिवार्य पीरियड और ग्‍यारहवीं तथा बारहवीं कक्षा तक दो अनिवार्य पीरियड होने चाहिए ।

\*\*\*\*\*